संख्या 775(3)/तीन–2006–28(2)-2001

प्रेषक,

एस0आर0 लाखा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 11-10-2006

विषय : गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर छुट्टी, राजकीय शोक, राजकीय शवयात्रा तथा झण्डा झुकाने आदि के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

सामान्य प्रशासन अनुभाग

उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर छुट्टी, राजकीय शोक, राजकीय शवयात्रा तथा झण्डा झुकाने आदि के सम्बन्ध में शासन के संशोधित अनुदेश आपके सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु संलग्न है।

1–शासनादेश संख्या 2765/तीन-28(3)72-सा0प्र0अनु0, दिनांक 20 नवम्बर, 1979
2–शासनादेश संख्या 5490/तीन-28(3)72-सा0प्र0अनु0, दिनांक 16 दिसम्बर, 1987
3–शासनादेश संख्या–भा0स0–141/तीन-97-28(5)97, दिनांक 18 फरवरी, 1998
4–शासनादेश संख्या 775/तीन-2006-28(2)01, दिनांक 19 जुलाई, 2006

2–इन सामान्य आदेशों के होते हुये भी ऐसे प्रत्येक मामले में, जिनमें भारत सरकार के अन्यथा आदेश होंगे, शासन के निर्देश यथा समय आवश्यकतानुसार अलग से भेजे जायेंगे।

संलग्नक :–यथोक्त।

भवदीय,
एस0आर0 लाखा,
प्रमुख सचिव।

संख्या 775(4)/तीन–2006–28(2)-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि एकरूपता लाने की दृष्टि से सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ न्यायालयों के बन्द करने के सम्बन्ध में विचार करने का कष्ट करें।
(3) प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(4) प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
(5) प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

(6) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) संयुक्त सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

(8) संयुक्त सचिव, गोपन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

आज्ञा से,
एस0आर0 लाखा,
प्रमुख सचिव।

संख्या 775(5)/तीन–2006–28(2)-2001, तद्दिनांक

(1) प्रतिलिपि समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) प्रतिलिपि, सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को भी सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
एस0आर0 लाखा,
प्रमुख सचिव।

व्यक्तियों के निधन पर राजकीय शोक मनाने, कार्यालयों को बन्द करने तथा झण्डा आदि के सम्बन्ध में निर्देश :–

ति

(1) निधन के दिन प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे।

(2) अन्त्येष्टि संस्कार के दिन :–

(क) प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे।

(ख) यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश के किसी नगर में होगा तो उसमें स्थित प्रदेश सरकार के औद्योगिक संस्थान बन्द रहेंगे, तथा

(ग) अगर उस नगर में पहले से सार्वजनिक छुट्टी न हो तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट ऐक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जायेगी।

(3) राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था होगी।

(4) पूरे प्रदेश में भारत संस्कार के आदेशानुसार राजकीय शोक मनाया जायेगा।

(5) पूरे प्रदेश में शोक की अवधि में झण्डे झुकाये जायेंगे।

ष्ट्रपति

(1) निधन के दिन प्रदेश सरकार के समस्त कार्यालय बन्द रहेंगे तथा अन्त्येष्टि के दिन उस जिले के समस्त कार्यालय बन्द रहेंगे जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा।

(2) निधन के दिन पूरे प्रदेश में झण्डे झुकाये जायेंगे। अन्त्येष्टि संस्कार के दिन उस जिले में झण्डे झुकाये जायेंगे जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा।

(3) भारत सरकार के आदेशानुसार राजकीय शोक मनाया जायेगा।

(4) यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ अन्त्येष्टि होगी।

मंत्री

(1) निधन के दिन प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे तथा अन्त्येष्टि संस्कार के दिन भी कार्यालय बन्द रहेंगे।

(2) पूरे प्रदेश में भारत सरकार के आदेशानुसार राजकीय शोक मनाया जायेगा।

(3) पूरे प्रदेश में शोक की अवधि में झण्डे झुकाये जायेंगे।

(4) राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था होगी।

र्व राष्ट्रपति

(1) पूरे प्रदेश में भारत सरकार के आदेशानुसार राजकीय शोक मनाया जायेगा तथा इस अवधि में पूरे प्रदेश में झण्डे झुकाये जायेंगे।

(2) राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था होगी।

पाल या मुख्यमंत्री

(1) सम्पूर्ण प्रदेश में सरकारी कार्यालय निधन के दिन तथा अन्त्येष्टि संस्कार के दिन बन्द रहेंगे।

(2) 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जायेगा। शोक अवधि में पूरे प्रदेश के झण्डे झुकाये जायेंगे।

(3) राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था होगी।

(4) निधन पर राज्य सरकार (गोपन विभाग) काले हाशिये वाली असाधारण गजट विज्ञप्ति जारी करेंगे।

6–भूतपूर्व उप राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री, अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हों

(1) प्रदेश में निधन तथा अन्त्येष्टि संस्कार के दिन झण्डे झुके रहेंगे।

(2) यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

7–उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा अन्य प्रदेशों के राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों

(1) प्रदेश में अन्त्येष्टि संस्कार के दिन झण्डे झुकाये जायेंगे।

(2) यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है, तो पुलिस सम्मान के साथ अन्त्येष्टि होगी।

8–मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय मंत्री

(1) निधन के दिन प्रदेश की राजधानी में झण्डे झुकाये जायेंगे।

(2) यदि प्रदेश के निवासी थे तो प्रदेश के जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा, उस जिले में झण्डे झुकाये जायेंगे।

(3) यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

9–भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, भूतपूर्व अध्यक्ष लोक सभा तथा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हों

(1) प्रदेश के जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा वहां उस दिन झण्डे झुकाये जायेंगे।

(2) यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

10–सभापति विधान परिषद, अध्यक्ष विधान सभा, राज्य सरकार के मंत्रीगण तथा लोक आयुक्त

(1) निधन के दिन राज्य की राजधानी में तथा जिस जिले में अन्त्येष्टि संस्कार होगा उस दिन उस जिले में झण्डे झुकाये जायेंगे।

(2) यदि अन्त्येष्टि संस्कार उत्तर प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

11–प्रदेश के भूतपूर्व सभापति विधान परिषद, भूतपूर्व अध्यक्ष विधान सभा तथा राज्य के भूतपूर्व मंत्रीगण

(1) यदि प्रदेश में अन्त्येष्टि संस्कार होगा तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

12–उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश

(1) निधन के दिन प्रदेश की राजधानी तथा इलाहाबाद में झण्डे झुकाये जायेंगे।

(2) प्रदेश के जिस जिले में अन्त्येष्टि होगी वहां उस दिन झण्डे झुकाये जायेंगे।

(3) यदि प्रदेश में अन्त्येष्टि संस्कार होगा तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

13–भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश

(1) प्रदेश के जिस जिले में अन्त्येष्टि होगी वहां उस दिन झण्डे झुकाये जायेंगे।

(2) यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

14–उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

(1) प्रदेश के जिस जिले में अन्त्येष्टि होगी वहां उस दिन झण्डे झुकाये जायेंगे।

(2) यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

15–सांसद, यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हों

यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

16–भूतपूर्व सांसद, यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हों

यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

17–विधायक

यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

18–भूतपूर्व विधायक

यदि अन्त्येष्टि संस्कार प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा।

19–वर्तमान/भूतपूर्व सांसद, वर्तमान/भूतपूर्व विधायक के निधन से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर लोक सभा सचिवालय/विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाये।

टिप्पणी

(क) राजकीय शव यात्रा की व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशानुसार होगी।

(ख) पुलिस सम्मान के साथ शव यात्रा की रूपरेखा वही होगी जो पुलिस ड्रिल मैनुअल के अध्याय–20 में इंगित है।

(ग) पुलिस सम्मान के साथ अन्त्येष्टि की रूपरेखा वही होगी जो पुलिस ड्रिल मैनुअल के अध्याय–20 के अनुभाग–3, 4 व 6 में इंगित हैं, जिसके अनुसार अन्त्येष्टि के स्थल पर शोक प्रदर्शन की व्यवस्था होगी।

(घ) जब प्रदेश सरकार के कार्यालय शोक हेतु निर्देशानुसार बन्द रहेंगे तो उनके साथ-साथ प्रदेश सरकार के अधीन निगमों, स्थानीय निकायों के कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थायें भी बन्द रहेंगी।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 10 सा० प्रशा0–28.10.2006–(6285)–1,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।